(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–एक / निग. / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 4969 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–11–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–48 / अ–68 / 2015–16

.....

राधेश्याम मिश्रा
निवासी–वार्ड नं. 38 हनुमान टौरिया,
जवाहर मार्ग, छतरपुर
तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)

------आवेदक

विरूद्ध

1– शोभित त्रिपाठी
2– मोहित त्रिपाठी, पुत्रगण भगवत प्रसाद त्रिपाठी
निवासीगण– हनुमान टौरिया के नीचे,
तहसील व जिला–छतरपुर(म.प्र.)
3– म.प्र. शासन

------अनावेदकगण

.....

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 एवं 2
श्री राजीव शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17 06. 2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक राधेश्याम मिश्रा, निवासी वार्ड नं. 38 हनुमान टौरिया, जवाहर मार्ग, छतरपुर द्वारा जन शिकायत

निवारण विभाग भोपाल को इस आशय का शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्र. 1 व 2 ने चौबे नर्सिंग होम से उत्तर की ओर 19 वर्गफुट सार्वजनिक मार्ग पर दिवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे हटाया जाये। उक्त शिकायती आवेदन तहसीलदार नजूल, को प्राप्त होने पर तहसीलदार नजूल ने कार्यक्षेत्र नजूल संधारण आपरीक्षक से स्थल जांच कर प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 28—08—2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये। तहसीलदार नजूल के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 08—12—2015 से अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार नजूल के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया कि मात्र शिकायती आवेदन पर एन.एम.एस. प्रतिवेदन के आधार पर एकपक्षीय का बेदखली आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक की ओर से अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03—11—2017 से अपील सारहीन मानते हुये निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से शिकायती आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार नजूल द्वारा नजूल संधारण आपरीक्षक से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिनांक दिनांक 28—08—2014 से अतिक्रमण हटाकर बेदखली प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये। तहसीलदार नजूल ने हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये बिना केवल नजूल एन एम.एस के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया था जिसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने

पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार नजूल के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया हैं। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग का आदेश दिनांक 03–11–2017 स्थिर रखा जाता है।

(आर.के. जैन) 17/6/19
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,